न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, R.A.S.

GCMS id : 2022 / 14

प्रकरण संख्या : 1 / 22

मोहनलाल पुत्र कान्हा, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
– (प्रार्थी)

बनाम

1. भरोसी बाई पत्नी छोटूलाल पुत्री कान्हा, जाति मीणा, निवासी ग्राम छोटी जावरी, तहसील व जिला बून्दी
2. मोडी बाई पत्नी हेमराज, पुत्री कान्हा, जाति मीणा, निवाासी ग्राम पलायथा, तहसील अन्ता, जिला बारां
3. कान्ती बाई पुत्री मोडूलाल पत्नी भीमराज, निवासी ग्राम सांगाहेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
4. चौथमल पुत्र मोडूलाल, जाति मीणा
5. धन्नीबाई पुत्री मोडूलाल, जाति मीणा
6. पप्पूलाल पुत्र मोडूलाल, जाति मीणा
7. फूलन्ता बाई पुत्री मोडूलाल, जाति मीणा
8. बसन्ती बाई पुत्री मोडूलाल, जाति मीणा
9. भीमराज पुत्र मोडूलाल, जाति मीणा
10. महावीर पुत्र मोडूलाल, जाति मीणा
11. माया पुत्री मोडूलाल, जाति मीणा
12. रामेश्वर पुत्र मोडूलाल, जाति मीणा
    निवासीगण ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
– (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

उपस्थिति : श्री गोपालदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
श्री बनवारी लाल नागर, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक : 04.05.2022

1- प्रार्थी की ओर से मूल वाद के साथ जर्ये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान करने अस्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- *प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 R.T.A. में निवेदन किया गया कि –*

≈ ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के संयुक्त खाते की आराजी में खसरा नम्बर 1250, 1257, 1367, 1613, 1857, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 925 कुल किता 12 रकबा 7.45 हैक्टर स्थित है।

≈ उक्त सहखातेदारान में से वादिनी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की माता तुलसा बाई का देहान्त हो चुका है। उक्त आराजी में मुताबिक जमाबन्दी वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते हिस्सा दर्ज है। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की माता का स्वर्गवास हो चुका है, उनका हिस्सा आराजी 1/8 वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के हिस्से में समायोजित होगी।

≈ प्रतिवादी चौथमल, आराजी खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.48 एवं खसरा नम्बर 1257 रकबा 0.80 हैक्टर में मिट्टी खुदवाकर विक्रय कर आराजी को नाकाबिल काश्त कर रहा है।

≈ प्रार्थी का केस प्राईमाफेसी है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में निहित है। प्रतिवादी नम्बर–4 अपने उक्त कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं होगी।

≈ अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित आराजी का जमाबन्दी अनुसार

Parthvi
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

विधिवत बंटवारा होने तक प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 12 आराजी के किसी हिस्से को रहन, बैय, हिब्बा, वसीयत आदि नहीं करें। किसी भी खसरा नम्बर की आराजी को अकृषि कार्य में तब्दील नहीं करें। आराजी में खुदाई करवाकर मिट्टी नहीं बेचें।

3- अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 R.T.A. पेश कर निवेदन किया गया कि –

~ प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता कान्हा जी व अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 12 के पिता मोड़ूलाल जी के मध्य अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी के सम्बन्ध में एक मौखिक बंटवारा हो गया था जिसमें आराजी खसरा नम्बर 1250, 1257, 1367, 1613 अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 12 के हिस्से में आयी तथा आराजी खसरा नम्बर 1857, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 925 प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के हिस्से में आयी। तब से ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपरोक्तानुसार ही खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त है।

~ यह प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस नहीं है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

~ संयुक्त खातेदार के विरूद्ध कानून किसी भी सहखातेदार को बाधा उत्पन्न करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा सहखातेदार के खिलाफ किसी भी तरह की अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है।

~ अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

6- प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई –

- प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम अरण्डखेड़ा, तहसील लाडपुरा में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1250, 1257, 1367, 1613, 1857, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 925 कुल किता 12 रकबा 7.45 हैक्टर में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 12 का 1/2 हिस्सा है। अप्रार्थी क्रम 4 उक्त आराजी की मिट्टी खोद खोदकर बेच रहा है और उपजाऊ जमीन को बेकार कर रहा है। उक्त आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विधिवत विभाजन के अभाव में किसी भी सहखातेदार को संयुक्त खाते की आराजी को खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी को खोद खोद कर इसकी मिट्टी का बेचान कर दिया तो यह उपजाऊ जमीन बंजर हो जायेगी, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 12 के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विधिवत वंटवारा हुये विना विवादित आराजी के किसी हिस्से को रहन, बैय, हिब्बा, वसीयत आदि नहीं करें। किसी भी खसरा नम्बर की आराजी को अकृषि कार्य में तब्दील नहीं करें। आराजी में खुदाई करवाकर मिट्टी नहीं बेचें।
- अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी वहस में जवाव प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता कान्हा जी व अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 12 के पिता मोड़ूलाल जी के मध्य अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी के सम्बन्ध में एक मौखिक वंटवारा हो गया था जिसमें आराजी खसरा नम्बर 1250, 1257, 1367, 1613 अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 12 के हिस्से में आयी तथा आराजी खसरा नम्बर 1857, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 925 प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के हिस्से में आयी। तब से ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपरोक्तानुसार ही खसरा नम्बरान पर काविज काश्त है। यह प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस नहीं है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। संयुक्त खातेदार के विरूद्ध कानून किसी भी सहखातेदार को वाधा उत्पन्न करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा सहखातेदार के खिलाफ किसी भी तरह की अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में माननीय न्यायालयों के गत निर्णय की निम्नानुसार प्रतियां (नजीरें) पेश की गई –

(i) RRD Jan.,2006 Page 36-39 (ii) RRD Feb.,2004 Page 65-66

7- हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की वहस प्रार्थना पत्र के कथनों पर मनन किया और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

Partumi
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

T.I.MohanLal.BharosiBai

परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण (Merits) के
आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा
प्राप्त करने के लिये निम्न तीन शर्तों की पालना आवश्यक है :-

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है ?

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है। इनमे से
किसी एक का भी आभाव होने पर न्यायालय व्यादेश नहीं देगा।

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है ?

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई
साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित
हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे, यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर
सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्ट्या है
अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य
द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है। प्रस्तुत प्रकरण के
राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) के अवलोकन से हम पाते है कि ग्राम अरण्डखेडा, तहसील
लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1250, 1257, 1367, 1613, 1857, 910, 911, 912, 913,
914, 915, 925 कुल किता 12 रकबा 7.45 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त
खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन होने के पूर्व
संयुक्त खाते की आराजी के प्रत्येक खसरा नम्बर पर सभी सहखातेदारान का समान हक
व कब्जा निहित होता है। संयुक्त खाते की आराजी के विभाजन की फाईनल डिक्री के
उपरान्त ही कोई खातेदार, उसके हिस्से में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर पर किसी भी
कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगा। वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो विवादित
आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। किस सहखातेदार को विवादित आराजी
का कौनसा खसरा नम्बर प्राप्त होगा, इस कथन का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्यों के आधार
पर तनकीवार निस्तारण पर ही संभव है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह केवल प्रार्थी का
प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है।

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में होना,
बताना पडेगा। इसके लिये प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा की लाभ चाहा गया है उसके लिये
उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम
अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1250, 1257, 1367, 1613, 1857,
910, 911, 912, 913, 914, 915, 925 कुल किता 12 रकबा 7.45 हैक्टर प्रार्थी तथा
अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है।
विभाजन होने के पूर्व संयुक्त खाते की आराजी के प्रत्येक भाग पर सभी सहखातेदारान का
समान हक व हिस्सा निहित होता है तथा संयुक्त खातेदारी की आराजी में प्रत्येक पक्षकार
का प्रत्येक इंच पर कब्जा भी निहित माना जाता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का विवादित
आराजी पर समान हक व हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार संयुक्त खातेदारी की आराजी में
सभी सहखातेदारान का समान कब्जा व समान हक होने से सुविधा का सन्तुलन केवल
प्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रत्येक सहखातेदार के पक्ष में है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने
वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और
प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का
नुकसान प्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति होगा। प्रस्तुत प्रकरण की विवादित आराजी
पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के मूल वाद में
विवादित आराजी का विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली के
अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष, दावे में तनकीयात कायम की
जाकर साक्ष्य आदि पेश होने के आधार पर निर्धारित किये जावेगें। देखा जाये तो कानूनन
सभी सहखातेदारान को अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करने का एकसमान पूर्ण

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

Pathni
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

अधिकार है। इस प्रकार किसी एक पक्षकार को अपूर्णीय क्षति होना संभावित नहीं है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु केवल प्रार्थी के पक्ष में न होकर सभी सहखातेदारान के पक्ष में है।

7- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अनुसार नियत निर्धारित शर्तो बाबत उपरोक्तानुसार किये गये समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विधिसंगत तथ्य यही है कि विभाजन योग्य आराजी का विभाजन होने के पहले तक विवादित आराजी में सभी सहखातेदारान का समान अधिकार व कब्जा निहित माना जाता है। इस प्रकार किसी एक का हक व कब्जा मानकर इस प्रकरण का निर्धारण किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। प्रार्थी के संभावित भय कि सहखातेदार कहीं उसके हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द नहीं कर दे, के बारे में विचार करने पर हम पाते है कि प्रकरण की विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से यह भय तो सभी सहखातेदारों के मन में व्याप्त हो सकता है। वैसे भी संयुक्त खातेदारी की आराजी होने से यह न तो किसी एक पक्षकार का प्रथम दृष्ट्या मामला है और न ही सुविधा का सन्तुलन किसी एक पक्षकार के पक्ष में है। इस प्रकार किसी एक पक्षकार का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं होने व सुविधा का सन्तुलन किसी एक पक्षकार के पक्ष में नहीं होने से, किसी एक सहखातेदार को अपूर्णीय क्षति होना भी संभावित नहीं है तथापि विवादित आराजी का विभाजन होने तक के लिये आराजी को किसी भी रूप में खुर्द–बुर्द होने से बचाने के लिये निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसंगत मानते है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर विभाजन की फाईनल डिक्री जारी होने तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1250, 1257, 1367, 1613, 1857, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 925 कुल किता 12 रकबा 7.45 हैक्टर के रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। विवादित आराजी को ताफैसला वाद किसी भी प्रकार (रहन, बेचान, दान, वसीयत अथवा अकृषि कार्य) से खुर्द–बुर्द व हस्तान्तरण नहीं करें। कोई भी पक्षकार अपने सहखातेदार की हिस्सा आराजी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मदालखत व मजाहमत नहीं करें। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को उक्त आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद हो।

8- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04 मई, 2022 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

T.I.MohanLal.BharosiBai